HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous 2nd Bail Application No. 11087/2025

Manaram (Mana) S/o Teja, Aged About 57 Years, Resident Of Vagriya Magari, Eklingpura, Thana Savina, Udaipur.
(Presently Lodged At Central Jail Udaipur)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Jagatveer Singh Dedora
For Respondent(s)	:	Mr. Urja Ram Kalbi, Addl. G.A.

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

27/03/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (धारा 439 दं.प्र.सं.) पुलिस थाना सविना जिला उदयपुर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 298/2024 अपराध अन्तर्गत धारा 307, 34 भारतीय दंड संहिता, 1860 में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 16.04.2025 के माध्यम से प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक द्वारा बल नहीं दिए जाने के आधार पर खारिज किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त 16.10.2024 से अभिरक्षा में चल रहा है। प्रकरण में कुल 16 साक्षी हैं, जिनमें से केवल मात्र 3 साक्षीगण के बयान लेखबद्ध हुए हैं। सहअभियुक्तगण किशन व श्रीमती लक्ष्मी को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 28.01.2025 के माध्यम से जमानत का लाभ दिया जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त का मामला उक्त सहअभियुक्तगण के प्रकरण के समान है।

प्रकरण के विचारण में समय लगेगा, अतः प्रार्थी/अभियुक्त का द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उसे जमानत पर रिहा किया जावे।

विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि आहत नंदलाल के शरीर पर जो चोटें आई हैं, उनमें से 4 चोटें गंभीर प्रकृति तथा प्राणघातक होना चिकित्सक ने बताया है। प्रार्थी/अभियुक्त के कब्जे से धारदार लोहे की कुंद बरामद हुई है। नंदलाल ने अपने बयान में भी प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा उसके सिर पर मारना बताया है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध 13 आपराधिक प्रकरण विचाराधीन हैं। अतः प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए यह जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

मैंने उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त पर नंदलाल के शरीर पर चोट पहुंचाने के अपराध का आरोप है। पीडब्ल्यू 3 नंदलाल ने अपने बयान की मुख्यपरीक्षा में भी यह कहा है कि मानाराम ने धारिया उठाकर उसके सिर पर मारी। नंदलाल के शरीर पर कुल 6 चोटें आना चिकित्सक ने बताया है, जिसमें से चोट संख्या 1 से 4 गंभीर प्रकृति की व प्राणघातक होना बताया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के कब्जे से धारदार हथियार लोहे की कुंद की बरामदगी हुई है, इस स्तर पर यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कोई आपराधिक कृत्य नहीं किया गया है। प्रकरण में चिकित्सक, अन्वेषण अधिकारी तथा महत्वपूर्ण साक्षीगण के बयान लेखबद्ध होने शेष हैं।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों तथा प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना इस प्रक्रम पर प्रार्थी/अभियुक्त को द्वितीय जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **मानाराम (माना) पिता तेजा** की ओर से प्रस्तुत यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

चूंकि प्रार्थी/अभियुक्त अभिरक्षा में है, अतः पीठासीन अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्रकरण के त्वरित गति से निस्तारण का प्रयास करे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

KISHAN SONI/173